UPJS010024322020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति और अनु. जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, झांसी ।

उपस्थित- नेत्रपाल सिंह (एच. जे. एस)

J. O. Code No- UP 6348

वारंट एण्ड समन ट्रायल (परिवाद) सं- 58/ 2020

महेन्द्र वर्मा पुत्र महेश प्रसाद वर्मा निवासी 390/ 1 बाहर दतिया गेट पठौरिया थाना कोतवाली झांसी । **- - - - परिवादी**

बनाम

1- मृत्युंजय तिवारी पुत्र शैलेन्द्र तिवारी

2- महेन्द्र तिवारी पुत्र अज्ञात

निवासीगण 1262/ 1 ग्वालियर रोड थापक बाग थाना कोतवाली जिला झांसी ।

- - - - - - - - विपक्षीगण

थाना- प्रेमनगर, जिला- झांसी

दिनांक- 05. 08. 2026

1. पत्रावली पेश हुयी । पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है । पत्रावली में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है ।

2. परिवादी महेन्द्र वर्मा ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं. प्र. सं. इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई पुष्पेन्द्र वर्मा तथा मृत्युजंय तिवारी के बीच फ्लैक्स प्रिंटिग का व्यवसाय करने हेतु एक इकरारनामा दिनांक 25. 07. 2016 को किया था । उक्त समझौते के अनुसार उक्त व्यापार शुरू करने बावत जो लागत व्यवसाय शुरू करने में लगनी थी , उस बावत उक्त समझौतेनामा में कोई उल्लेख नहीं किया था बल्कि उक्त समझौतानामा में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई पुष्पेन्द्र वर्मा की हिस्सेदारी 25- 25 प्रतिशत तथा शेष 50 प्रतिशत हिस्सेदारी मृत्युंजय तिवारी की होगी, का उल्लेख है । उक्त व्यवसाय शुरू करने हेतु डिजिटल सोलवेण्ट प्रिंटर (VK- JET3500) जिसकी कीमत मृत्युंजय तिवारी ने 6, 50, 000/ - रूपये बताई थी । उक्त मशीन को फ्युचर प्लस मार्केटिंग सोल्यूशन के फर्म के नाम पर खरीदा गया था जबकि समझौतानामा के अनुसार फर्म का नाम फ्यूचर प्लस एडवरटाईजिंग सोल्यूशन था । उक्त मशीन में मृत्युंजय तिवारी का कोई भी पैसा नहीं लगा था महज फर्नीचर व जनरेटर व अन्य उपयोग की चीजों में मृत्युंजय तिवारी ने पैसा दिया था । व्यवसाय शुरू होने के उपरान्त समझौतानामा के अनुसार खोले गये व्यवसाय कम्पनी फ्युचर प्लस एडवार्टइजिंग सोल्यूशन के नाम पर बैंक खाता खोला जाना था । परन्तु मृत्युंजय तिवारी द्वारा खाता खोलने में आनाकानी की तथा व्यवसाय में अर्जित लाभ को अपने एकाउण्ट में जमा कराता रहा अधिक दबाव डालने पर मृत्युंजय तिवारी ने प्रार्थी के भाई को उक्त समझौतानामा से अलग करने हेतु दबाव बनाया तथा दूसरा समझौनामा दिनांक 06. 11. 2017 को तैयार कराया गया । जिसमें प्रार्थी व मृत्युंजय तिवारी को 50- 50 प्रतिशत का पार्टनर बताया गया परन्तु तब भी विपक्षी द्वारा फर्म के नाम पर बैंक खाता नहीं खुलवाया गया । प्रार्थी के अधिक दवाव देने पर वर्ष 2018 में फर्म के नाम बैंक खाता खुल गया । जिसके पश्चात्

Digitally signed by NETRA PAL SINGH
Date: 2026.08.06 17:23:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मार्च 2018 में ही दो लाख चवालीस हजार रूपया का पेमेंट व्यवसाय खाते में आया तो विपक्षी मृत्युंजय तिवारी द्वारा प्रार्थी से अपनी एक दूसरी फर्म के नाम दो लाख बारह हजार चार सौ रूपया का भुगतान मृत्युंजय तिवारी ने प्रार्थी से ले लिया और इसके पश्चात् मृत्युंजय तिवारी ना तो किसी तरह का व्यापार करने हेतु प्रार्थी के पास आया और ना ही समझौतानामा के अनुसार कोई व्यापार किया। प्रार्थी के बार- बार बुलाने पर कि समझौतानामा के अनुसार यदि व्यापार नहीं चलाना है तो अपना- अपना हिसाब करके पूर्व में किये गये समझौतो को निरस्त करवा ले। परन्तु प्रार्थी के बार- बार कहने पर मृत्युंजय तिवारी कभी भी प्रार्थी के पास नहीं आया बल्कि प्रार्थी को मोबाइल के जरिये यह संदेश भेजता रहा कि हिसाब बना लो तब प्रार्थी ने कहा कि मेरा मशीन खरीदने में पांच लाख आठ हजार चवालीस रूपया लगा था जबकि तुम्हारे द्वारा जनरेटर व फर्नीचर में जो खर्च लगा था, वह समस्त सामान तुम्हारे ही पास है इसलिये आमने - सामने बैठकर विधि अनुसार समझौतानामा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार हिसाब- किताब कर लो। परन्तु प्रार्थी की उक्त बात सुनकर मृत्युंजय तिवारी सीधे बिजौली चौकी में जाकर शिकायत करता है तब प्रार्थी बिजौली चौकी जाकर अपना पक्ष रखता है जिसमें दोनों पक्षों के अभिभावकों को बैठाकर समझौते करने की बात तय होती है । परन्तु विपक्षी द्वारा चौकी में किये गये समझौते के आधार पर अभिभावकों को बैठाकर हिसाब- किसा नहीं किया गया तथा दिनांक 14. 07. 2020 को समय करीब दिन के 10:30- 11:15 बजे के बीच प्रार्थी अपनी एक्टिवा स्कूटर से हंसारी की ओर जा रहा था तभी विपरीत दिशा से आ रहे मृत्युंजय तिवारी जो कि अपनी कार जिसका नं० - यू०पी० 93 ए०एस० 1073 जिसमें मृत्युंजय के चाचा महेन्द्र तिवारी व एक अज्ञात व्यक्ति उक्त कार में बैठे हुये थे। बी०एस०एन०एल० ऑफिस के आगे रेलवे क्रॉसिंग के पास जैसे ही प्रार्थी पहुंचा तो मृत्युंजय तिवारी ने प्रार्थी को हाथ देकर रोका । प्रार्थी वहीं रूक गया तब मृत्युंजय तिवारी उनके चाचा महेन्द्र तिवारी प्रार्थी के पास आये तो मृत्युंजय तिवारी ने प्रार्थी से कहा कि साले कुरिया वाले तेरे बहुत दिमाग खराब हो गये हैं। उसके बार- बार कहने पर भी वह हिसाब नहीं कर रहा है आज की तारीख में ही उसे पांच लाख रूपया चाहिये नहीं तो उसे व उसके परिवार वालों को मरवाकर फिंकवा दूंगा लाश का भी पता नहीं चलेगा तथा मां बहन की बुरी - बुरी गालियां दी तथा प्रार्थी के विरोध करने पर मृत्युंजय तिवारी व उसके चाचा महेन्द्र तिवारी ने सड़क पर ही मां बहन की गाली देते हुये प्रार्थी की लात घूसों से मारपीट शुरू कर दी । प्रार्थी मदद को चिल्लाया तो झाँसी की ओर से आ रहे नरेन्द्र राजपूत व आशुतोष ओझा ने बीच बचाव किया। जाते- जाते मृत्युंजय तिवारी व उसके चाचा ने कहा कि यदि पांच लाख रूपया नहीं दिये तो अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रार्थी उक्त सम्बन्ध में घटना की रिपोर्ट करने थाना प्रेमनगर गया परन्तु प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी ना ही विपक्षीगणों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी।

3. प्रार्थी महेन्द्र वर्मा के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं. प्र. सं. पर संबंधित थाना प्रेमनगर से आख्या आहूत की गयी तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06. 08. 2020 के अनुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं. प्र. सं. को परिवाद के रूप

में दर्ज करते हुए परिवादी को धारा 200 व 202 दं. प्र. सं. में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

4. परिवादी ने परिवाद के कथानक के समर्थन में स्वयं को धारा 200 द. प्र. सं. के तहत परीक्षित कराया है एवं धारा 202 द. प्र. सं. के तहत किसी भी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। परिवादी ने आदेश पत्र पर धारा 202 द. प्र. सं. में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत न करने का पृष्ठाकंन करने पर परिवादी का साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 द. प्र. सं. समाप्त किया गया।

5. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया है व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

6. एकमात्र साक्षी परिवादी ने अपने बयान **धारा 200 द. प्र. सं. में कथन किया है कि**- "मेरा प्रिटिंग का व्यवसाय है। मै व मेरे भाई मृत्युजंय तिवारी से इकरारनामा इस बात का किया था कि फ्लैक्स प्रिटिंग मशीन लेगे,छः लाख रूपये लगेगे। मेरा पांच लाख रूपये लगे थे। मृत्युजंय तिवारी ने जनरेटर तथा फर्नीचर उसी के पास था,वह लगाया था। हम लोगो ने 2018 तक काम किया था। मेरी फर्म पार्टनरशिप डील के हिसाब से फ्यूचर प्लस एडवरटाइजिंग सोल्यूशन थी। उसी नाम से खाता खुलना था तब मृत्युजंय तिवारी ने कहा कि अपने भाई को हटवाओं तब मैने अपने भाई पुष्पेन्द्र को हटाकर नयी डील की। जिसमें 50- 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। जब खाता खुल गया तो खाता में नगर पालिका परिषद महोबा से दो लाख चवालीस हजार रूपये के लगभग रूपये आया। मृत्युजंय तिवारी ने मुझसे एक चैक अपनी दूसरी फर्म के लिए दो लाख बारह हजार आठ सौ रूपया का लिया। ये पैसा मृत्युजंय की फर्म खाते में चले गये। इसके बाद उसने आना बन्द कर दिया। मैने कहा कि हिसाब कर लो तथा एग्रीमेंट के शर्त पर तो वह मृत्युजंय तिवारी ने एक प्रार्थनापत्र दिया चौकी में। तब चौकी मे मै गया था तथा वहां दरोगाजी ने कहा कि तुम लोग आपस में बैठकर समझौता कर लो तथा मैने सभी कागजात दे दिए तथा मैने कहा कि 420 की मृत्युजंय तिवारी के विरूद्ध एफ . आई. आर करा दो। घटना दिनांक 14. 07. 2020 को समय करीब 10:30- 11:15 बजे की बात है। मै हंसारी की तरफ से आ रहा था। मृत्युजंय तिवारी तथा महेन्द्र तिवारी तथा एक अज्ञात व्यक्ति हंसारी चौकी के पास मिले तथा मुझे रोका उतरकर आये तथा मुझे गाली गलौज करके पांच लाख रूपये मांगने लगे तथा कहा रूपये दो नही तुम्हारी फैमिली को मरवा दूंगा। लात घूसो से मारापीटा था। मारपीट में मुझे चोटें आयी थी। डाक्टरी करायी थी। मारते पीटते नरेन्द्र व आशुतोष ओझा ने देखा था तथा बचाया था। मुल्जिमान मुझे जाते जाते गाली गलौज तथा जातिसूचक शब्द कहते हुए चले गये थे। थाना गया था रिपोर्ट नही लिखी गयी।"

7. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवाद पर आदेशिका जारी करने के स्तर पर न्यायालय को केवल प्रथमदृष्टया मामला देखने की आवश्यकता है। इस स्तर पर न तो न्यायालय को साक्ष्य का अन्तिम रूप से विवेचन व विश्लेषण करना है और न ही यह देखना जरूरी है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण की दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य व सामग्री पत्रावली पर

उपलब्ध है या नहीं। प्रस्तुत मामले में परिवादी के परिवादपत्र में किये गये कथनों एवं परिवाद के समर्थन में परिवादी द्वारा स्वयं अन्तर्गत धारा 200 दं. प्र. सं. में दिये गये बयानों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 14. 07. 2020 को समय करीब 10:30- 11:15 बजे परिवादी से गाली गलौज कर,मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर उससे पांच लाख रूपये की अवैध मांग की एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गंभीर अपराध कारित किया है। अभियुक्तगण को धारा 323,504,506,387 भा. द. सं. व 3(1) द,ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में तलब करने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार तलब किया जाये।

8. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने, परिवादपत्र में किये गये कथनों एवं पूर्व में संबंधित थाना प्रेमनगर से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा तलब की गयी आख्या व धारा 200 दं. प्र. सं. में पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट है कि परिवादी व विपक्षीगण के मध्य वास्तविक विवाद दिनांक 25. 07. 2016 को किये गये कथित इकरानामें की संविदा भंग से संबंधित सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है। प्रार्थी ने लेनदेन से संबंधित विवरण परिवाद में उल्लिखित किया है। परन्तु समर्थन में कोई भी साक्षी पेश नही किया गया है। मामला विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का है जिसे परिवादी आपराधिक प्रकृति के मामले में परिवर्तित कर विपक्षीगण पर दबाव बनाकर संविदा के विर्निदिष्ट अनुपालन का अनुतोष चाहता है। परिवादी ने मारपीट व गाली गलौज की घटना मामले को रंगत देने के लिए उल्लिखित की है जबकि परिवाद में वर्णित किसी साक्षी को पेश नही किया है। परिवादपत्र में किये गये कथनों एवं परिवादी के असम्पुष्ट साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 द. प्र. सं के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध किसी भी अपराध में आदेशिका जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

किसी भी व्यक्ति को सिविल मामले को आपराधिक प्रकृति के मामले में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान नही की जा सकती है।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था में अवधारित किया गया है कि-

G. Sagar Suri and another v. State of U.P. and others (2000) 2 SCC 636 "It is to be seen if a matter, which is essentially of civil nature, has been give a cloak of criminal offence. Criminal proceedings are not a short cut of other remedies available in law. Before issuing process a criminal Court has to exercise a great deal of caution. For the accused it is a serious matter. "

M/s. Indian Oil Corporation v. M/s. NEPC India Ltd. and Ors, 2006 AIR SCW 3830 -

While on this issue, it is necessary to take notice of a growing tendency in business circles to convert purely civil disputes into criminal cases. This is obviously on account of a prevalent impression that civil law remedies are time consuming and do not adequately protects the interests of lenders/creditors. Such a tendency is seen in several family disputes also, leading to irretrievable break down of marriages/families. There is also an impression that if a person could somehow be entangled in a criminal

prosecution, there is a likelihood of imminent settlement. Any effort to settle civil disputes and claims, which do not involve any criminal offence, by applying pressure though criminal prosecution should be deprecated and discouraged.

किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में तलब किये जाना सामान्य बात नही है बल्कि किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में तलब करने के लिए विश्वसनीय एवं ठोस सबूत का होना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पैप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य (1998) 5 एस०सी०सी० (एस०सी०)** के मामले में यह स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गयी है कि किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति को बतौर अभियुक्त तलब करना एक गंभीर मामला है व इसे सामान्य तौर पर नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तलबी आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा परिवादी के परिवाद तथा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया है। तदोपरान्त ही आदेश पारित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट विधि प्रतिपादित की गयी है कि मजिस्ट्रेट एक मूक दर्शक नहीं है बल्कि उसे परिवाद के तथ्यों व साक्ष्यों का सम्यक परीक्षण करना चाहिए, ताकि प्रथमदृष्टया तलबी के आधार पर्याप्त है या नहीं, स्पष्ट हो सके।

9. अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत परिवादी द्वारा याचित परिवाद एवं उसके एकमात्र बयान अन्तर्गत धारा 200 द. प्र. सं के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध विचारण हेतु तलब करने के आशय से आदेशिका जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी **महेन्द्र वर्मा** द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद धारा- 203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक 05- 08- 2026

(नेत्रपाल सिंह)
विशेष न्यायाधीश अनु. जाति/ अनु. जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, झांसी।